संख्या: 789 /XII/2016-96(06)/2015

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पंचायतीराज अनुभाग-1 देहरादून : दिनांक 31 मार्च, 2016

विषय:- डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) निर्माण हेतु वातावरण सृजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि शासन द्वारा निर्गत पूर्व निर्देशों के अनुसार माह अप्रैल व मई, 2016 में ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) निर्माण हेतु ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन किया जाना है एवं दिनांक 31 मई, 2016 तक ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्माण सुनिश्चित किया जाना है, जिस हेतु सघन प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। तदोपरान्त् दिनांक 30 जून, 2016 तक ग्राम सभाओं द्वारा निर्मित योजना भारत सरकार के प्लान प्लस सॉफ्टवेयर पर अपलोड की जानी है।

2- उक्त बैठकों के आयोजन से पूर्व ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) निर्माण में वातावरण सृजन की अहम भूमिका होगी। अतः तत्काल प्रभाव से वातावरण सृजन हेतु निम्न कार्यवाही करने का कष्ट करें:-

1- वातावरण सृजन के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के वित्तीय संसाधन निर्धारित किया जाना है। रेखीय विभागों द्वारा विभागीय योजनाएं एवं उनके संसाधन का निर्धारण कर ग्राम सभा वार उपलब्ध कराया जाना है।

2- वास्तविक रूप से ग्राम सभा के संसाधन निर्धारण हेतु यह आवश्यक है कि सभी विभागों के विकास खण्ड एवं ग्राम स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी सहभागिता कर प्रत्येक ग्राम सभा हेतु संसाधनों के निर्माण में पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

3- ग्राम सभा की खुली बैठक से पूर्व प्रत्येक पंचायत स्तर पर विगत 5 वर्षो की प्राप्तियाँ व कार्यसूची तथा आगामी 4 वर्षो की सम्भावित प्राप्तियों की सूचना भी ग्राम सभा वार उपलब्ध करायी जाए।

4- 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्रदत्त धनराशि में से 10% धनराशि कण्टीजेन्सी मद हेतु निर्धारित की गई है, जिसका उपयोग वातावरण सृजन हेतु किया जा सकता है। वर्तमान में इस अनुदान से ग्राम सभा के सरकारी/सार्वजनिक भवनों पर डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना के सम्बन्ध में वाल पेण्टिंग करवायी जाए।

5- जनपद स्तर पर उपलब्ध कराई गई डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना की डॉक्युमेण्ट्री फिल्म का अधिक से अधिक प्रदर्शन ग्राम स्तर पर करवाया जाए।

6- निदेशालय स्तर से रेडियो जिंगल्स एवं बल्क एस.एम.एस. के माध्यम से भी डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना का प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

7- आगामी एक पक्ष में प्रत्येक विकास खण्ड की कम से कम दो ग्राम सभाओं में ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने हेतु मॉक एक्सरसाईज करवायी जाए। मॉक एक्सरसाईज के लिए ऐसा शैड्यूल निर्धारित किया जाए, जिसमें तकनीकी सहायता समूह (टी.एस.जी.) के अधिकांश व्यक्तियों, विशेषतः प्रधानों एवं ग्राम स्तरीय समस्त कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित हो सके।

8- उपरोक्त कार्यवाही सम्पन्न कराते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा प्रतिदिन सूचना निदेशालय को उपलब्ध करवाई जाए।

अतः उपरोक्त कार्यवाही सम्पादित करने हेतु समुचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव

संख्याः — (1)/XII/2016–96(06)/2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवायी हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तराखण्ड को अनुपालनार्थ।

आज्ञा से,

(सत्यप्रकाश सिंह)
अनु सचिव